न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1222 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामी पत्नी केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. जगनलाल पुत्र केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. मन्जु पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. छोटू पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. धापी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. शारदा पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. मीरा पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
11. चुकी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 05/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 30 / 29 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 118 / 72 की कुल 11.0067 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 51 / 198 की कुल 21.8845 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केसराराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता केसराराम पुत्र जैसाराम का स्वर्गवास हो चुका है। केसराराम पुत्र जैसाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 11 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण केसराराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केसराराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता केसराराम पुत्र जैसाराम का स्वर्गवास हो चुका है। केसराराम पुत्र जैसाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 11 ने अपना स[illegible] हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग [illegible] भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 118/72 की कुल 11.0067 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 51/198 की कुल 21.8845 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केसराराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। वादी के पिता केसराराम पुत्र जैसाराम का स्वर्गवास हो चुका है। केसराराम पुत्र जैसाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 11 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 118/72 की कुल 11.0067 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 51/198 की कुल 21.8845 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि केसरा पुत्र जैसा के नाम [illegible] राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में केसराराम पुत्र जैसाराम/केसरा पुत्र जैसा का नाम [illegible] किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –1222 / 2024
अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामी पत्नी केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. जगनलाल पुत्र केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. भंवरी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. मन्जु पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. छोटू पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
7. धापी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
8. शारदा पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
10. मीरा पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
11. चुकी पुत्री केसरा राम जाति नायक निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1222 सन 2024 निर्णय दिनांक 05/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के खाता स0 30 / 29 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 118 / 72 की कुल 11.0067 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि केसराराम पुत्र जैसाराम के तथा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 51 / 198 की कुल 21.8845 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि केसरा पुत्र जैसा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त समस्त खातों में केसराराम पुत्र जैसाराम / केसरा पुत्र जैसा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:15:19 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर